Volume-10, No. 1 Feb.-2023, pp. Hin.25-29

सम्मान के लिए की गई हत्याओं की घटनाओं का समाजशास्त्रीय, कानूनी एवं मनोवैज्ञानिक अध्ययन

डा. जयप्रकाश तिवारी, सहायक प्रोफेसर शिक्षाशात्र
डा. राम मनोहर लोहिया महाविद्यालय सोनभद्र
उत्तर–प्रदेश भारत

मानवीय समाजों का जब समाजशास्त्रीय, कानूनी व मनोवैज्ञानिक रूप से हम अध्ययन करते हैं तो पाते है कि सम्मान के लिए की गई हत्याओं की कोई नई प्रघटना नहीं है, वह तो सदियों से चली आ रही एक ऐसी झूठे दम्भ से भरी प्रघटना है जिसे किसी भी कालखण्ड ने नकारा नहीं है। प्राचीनकाल से लेकर वर्तमान काल तक असंख्य हत्यायें पारिवारिक आन–बान–और शान के नाम पर की गयी हैं। परन्तु प्रेम करके विवाह करने वालों को किसी दौर में बलात रोका न जा सका है। कभी–कभी तो बस यही जान पड़ता है कि ये प्रेम दीवाने मौत का खेल जान बूझकर खेलते हैं। इमरान प्रजापति का यह शेर ऐसे प्रेम दीवानों के लिए एक श्रृद्धांजली सा दिखाई देता है–

मुख्य शब्द– समाजशास्त्रीय, कानूनी, मनोवैज्ञानिक, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 से 504

आग को खेल पतंगों ने समझ क्या रखा है?
सबको अंजाम का डर हो यह जरूरी तो नही।।

वैसे जमीनी सच्चाई यह भी है कि अधिकांश शान की खातिर होने वाली हत्याओं में युवतियों की संख्या अनुपात में अधिक होती है। ये तब है जब आधुनिक युग में लड़कियां रक्षा, चिकित्सा अनुसंधान शिक्षा व अन्तरिक्ष आदि के क्षेत्र में नाम रोशन कर अपने पैरों पर खड़े होकर परिवार का सहारा बन रही हैं। फिर भी उनकी प्रतिभाओं को बौना आंककर उन्हें मारा जा रहा है। उन्हें पैसा, शौहरत बटोरकर तो घरवालों को देने की छूट है परन्तु अपनी मर्जी से जीवन साथी चुनने की नही। ये सब जब हो रहा है जब हमारी सर्वोच्च न्यायालय व्यवस्था ने केन्द्र सरकार को हिदायत दे रखी है कि विभिन्न राज्यों में सम्मान के लिए की गई हत्याओं को रोकने हेतु सेल गठित किये जायें। इस हेतु राज्यों से सुझाव मांगे गये थे। सुझाव आने के बाद केन्द्र सरकार ने दिशा निर्देश जारी किये हैं। केन्द्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि सम्मान के लिए की गई हत्याओं आई0पी0सी0 में हत्या के अपराध के तहत आती है। सम्मान के लिए की गई हत्याओं को लेकर लॉ कमीशन की सिफारिशों पर विचार हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई युगल शादी करना चाहता है और उसे जान का खतरा है तो राज्य उनके ब्यान दर्जकर कार्यवाही करें। सुप्रीम कोर्ट ने खाप पंचायत के वकील को फटकार लगाते हुए साफ कहा कि दो व्यस्कों की शादी में दखल देने का अधिकार किसी को नहीं है।

विवाहित दम्पत्तियों की सुरक्षा को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में केन्द्र सरकार ने यह सलाह दी–

1. शादी करने वाले दम्पत्ति को लेकर अगर कोई बाधा पहुंचाता है तो राज्य सरकार उनके खिलाफ कठोर कदम उठाये।
2. सभी राज्य सरकारों के पास स्पेशल यूनिट हैं जो भी अपनी मर्जी से शादी कर रहें हैं उन्हें सुरक्षा दी जाये।
3. जब अपनी मर्जी से शादी करने वाले कपल शादी के लिए रजिस्ट्रेशन करने हेतु जायें तो उसी समय उन्हें यह बता देना चाहिए कि उनकी जान को खतरा है।
4. पुलिस को शादी करने वाले कपल की सुरक्षा के लिए और कानून को अपने हाथ में लेने के लिए कई तरह की गाईड लाइन पहले ही मिली हुई हैं।
5. उन पुलिस वालों के खिलाफ कठोर कदम उठाने चाहिए जो शिकायत के बावजूद भी कोई कदम नहीं उठाते हैं।

6. उन लोगों के खिलाफ केस चलना चाहिए जो अपनी मर्जी से शादी करने वाले कपल को परेशान करते हैं।

केवल इतना ही नहीं खाप पंचायतों या कट्टा पंचायतों को कंगारू अदालतें बताते हुए अदालत ने कहा कि ये अदालतें कानून अपने हाथ में लेती हैं जो पूरी तरह गैर कानूनी है। खाप पंचायतें चाहें कितनी ही गांवों की हो परन्तु इनका कोई संवैधानिक रूप नहीं होता है। परन्तु अधिकांश बार यही सामने आता है कि शिकायतकर्ता में इतनी हिम्मत नहीं होती कि वह शिकायत करे।

पूर्व वरिष्ठ पुलिस अधिकारी किरण बेदी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सहमति जताते हुए कहा है कि जब भी ऐसी घटनायें होती है इसके प्रति जिला अधिकारियों की जवाबदेही बनती है। उनका कहना था कि जब भी ऐसी घटनायें होती हैं वे जिला प्रशासन की विफलता से होती हैं और इसके लिए जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक और जिला अधिकारी जिम्मेदार होते हैं। ये अधिकरी राजनीतिक दबाव के चलते या निजी स्वार्थ के चलते अपनी जिम्मेदारी से पीछे हटते हैं इसलिए ऐसी घटनायें घटती है।

जहां तक राजनेताओं की बात है तो उनमें कोई भी इच्छा शक्ति दूर–दूर तक दिखाई नहीं पड़ती जो कि जाति–पांति पर आधारित बन्धनों को तोड़ने की बात करती हो। बल्कि विश्लेषण में यही दिखाई पड़ता है कि जाति व्यवस्था जितनी मजूबत होगी, वोटों की ठेकेदारी में लगे राजनेताओं का वोट बैंक उतना ही मजबूत होगा। आजकल तो राजनेताओं का भी राजनीति में यही प्रचलन हो चला है कि विभिन्न जातियां अब इससे ही पहचानी जाती हैं कि अमुक पार्टी का राजनीतिक, सामाजिक व मनोवैज्ञानिक ठप्पा जिस जाति विशेष पर लगा है, उस जाति विशेष का वोट उसी का है। तिकड़मी राजनीति का तो यह स्वभाव है कि जाति–पांति का चंचल खेल खेलकर येन–केन प्रकारेण सत्ता पर काबिज रहना ही चाहती है। परन्तु यह बहुत अधिक खेद जनक है कि आम जनता राजनीति के इन छलावों में आकर इससे बाहर निकलना ही नहीं चाहती और परिणाम ये निकल रहा है कि जाति–पांति, ऊंच–नीच के बन्धन और अधिक कठोर होने से प्रेमी युगल सम्मान के लिए की गई हत्याओं के नाम पर मारे जा रहे हैं।

एक समाजशास्त्रीय व राजनीतिक दृष्टिकोंण से यदि सम्मान के लिए की गई हत्याओं जैसी कुरीति का विश्लेषण किया जाये तो उसका सर्वप्रथम प्रधान कारण जाति–भेद है। हजारों वर्ष का राजनीतिक व सामाजिक इतिहास ये ही बताता है कि जाति–भेद न केवल लोगों को टुकड़ों में बांट देता है, बल्कि साथ ही यह सबके मन में ऊंच–नीच का भाव पैदा करता है। भारत के इतिहास में कई बार ऐसा समय आया जब देश की स्वतंत्रता लौट कर आ रही थी लेकिन हमारी पुरानी आदतों ने वैसा नही होने दिया। सम्राट अकबर ने सारे भारत को एक जाति में लाने का स्पवन देख, लेकिन उसका वह सपना, सपना बनकर ही रह गया और उसके बाद के हिन्दू–मुसलमानों ने उस जातीय एकता के ख्याल को फूटी आंखों देखना पसंद नहीं किया। अंग्रेजों के हाथ में जाने से पहले सबसे बड़ा साम्राज्य मराठों का था लेकिन वह भी ब्राह्मण–अब्राह्मण के झगड़ों के कारण चूर–चूर हो गया। हमारे पराभव का सारा राजनीतिक, सामाजिक व मनौवैज्ञानिक इतिहास हमे बताता है कि हम इसी जाति–भेद के कारण इस अवस्था तक पहुंचे। लेकिन यह भी एक सच्चाई है कि हम अधिक दिनों तक इस भेदभाव को कायम नहीं रख सकते। दुनिया की चाल को देखकर अब देश के युवक–युवती अब छूत–अछूत के भेद को मानने के लिए तैयार नहीं हैं। प्रेम दीवाने तो स्पष्ट रूप से इस प्रथा के विरूद्ध बिगुल फूंक चुके हैं। वे इसके लिए सब तरह की कुर्बानियां देने को तैयार हैं। उनके लिए राजनीतिक युद्ध से यह सामाजिक युद्ध कम महत्व नहीं रखता।[1]

जहां तक जाति–पांति, ऊंच–नीच, गरीब–अमीर को लेकर होने वाली सम्मान के लिए की गई हत्याओं का सवाल है तो उसमें अधिकांश मामलों में युवतियां इसका शिकार आसानी से हो जाती हैं। इसमें उनकी शारीरिक कमजोरी, घर न छोड़ पाना आदि मजबूरियां शामिल हैं। ये सब तब है जब आज महिलायें ऐसे क्षेत्रों में अपनी पहचान बना रही हैं, जहां अब तक उनकी मौजूदगी थी ही नहीं फिर चाहें शारीरिक श्रम की बात हो या बौद्धिक कौशल की। पुरूषों के दब–दबे वाले क्षेत्रों में महिलाओं को देखकर नयेपन का अहसास होता है। ऐसी असंख्य महिलायें हैं जिन्होनें घर की चाहरदीवारी को लांघकर कई क्षेत्रों में नाम रोशन किया है। ग्रेमी अवार्ड पाने वाली तन्वीशाह पहली भारतीय महिला हैं जिन्हें 'जय हो' गाने के लिए गुलज़ार, ए0आर0 रहमान के साथ ग्रेमी अवार्ड मिला है। वे हिन्दी तमिल,

तेलगू, स्पेनिश, अरेबिक, पुर्तगाली और कई अन्य लैटिन भाषाओं में भी गा सकती हैं। इरा सिंघल ने शारीरिक अक्षमता के बावजूद देश की कठिन समझी जाने वाली यूपीएससी की परीक्षा में वर्ष 2014 में सामान्य वर्ग में टाप करके नाम रोशन किया है। रीढ की हड्डी से सम्बन्धित डिसऑडर स्कोलेयासिस से पीड़ित इरा ने 2010 में अपने पहले ही प्रयास में यह परीक्षा पास कर ली थी लेकिन सरकारी अफसरों ने उनकी शारीरिक अवस्था को पोस्टिंग के लिए प्रतिकूल बताते हुए नियुक्ति के लिए उन्हें अयोग्य ठहरा दिया था। इरा इसके बाद सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में केस लड़ी और जीतीं। सोलोमन शमशान सम्भालने वाली पहली इंग्लिश लिटरेचर ग्रेजुएट हैं। अवनि, भावना और मोहाना ने फ्रंटलाइन फाईटर स्क्वाड्रन बनकर अपनी अलग ही पहचान बनायी है। मितालीराज ने वन डे, क्रिकेट में 10 हजार से ज्यादाा रन बनाकर नया इतिहास रच दिया है। सैल्वी गोडो ड्राइविंग फोर्स चुनकर ट्रेवल एजेन्सियों के साथ काम कर रही हैं। नये रिकार्ड बनाती ये युवतियां गजब के साहस के साथ प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढकर लोगों को आश्चर्य चकित कर रही हैं। जहां बुला चौधरी ने पांचों महाद्वीपों के चैनल को तैर कर पार किया वहीं रूवेदा सलाम ने कश्मीर की पहली महिला आईपीएस बनकर नया इतिहास रच डाला। अलीशाह अब्दुल्ला पहली फार्मूला वन रेसर बनकर लोगों के लिए नजीर बन गयीं। सुरेखा यादव भारत की पहली महिला कोपायलट बनीं, तो मंजू यादव ने कुली बनकर पुरूषों के इस भारी भरकम माने जाने वाले काम में सेंध लगायी। कई ऐसे नामों में दीपा करमाकर (जिमनास्ट), दीपा मलिक (एथलीट) किसी परिचय की मोहताज नहीं हैं। और इससे भी आगे एक कहानी बहादुर बेटी अरूणिमा सिन्हा ने लिखी जिन्होंने 2011 में लुटेरों द्वारा ट्रेन से नीचे फेंके जाने पर एक पैर गंवा दिया और दो साल बाद एक ही पैर से दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउन्ट एवरेस्ट फतेह करने वाली पहली महिला बन गयी। परन्तु इस सबके बाद भी जब लड़कियों की झूठी आन की खातिर हत्या की जाती है तो उस मानव समाज पर शर्म आती है जो यह करता है और होते हुए देखता है।

सर्वाधिक सम्मान के लिए की गई हत्याओं वाले मेरठ जनपद की क्रान्तिधारा से ही बेटियों ने इसके खिलाफ सेना बनाकर अभियान आरम्भ किया है। लड़कियों पर होने वाले इस जघन्य अपराध के विरूद्ध अब बेटियां ही आवाज उठा कर ऐसे मामलों में पीड़िता को न्याय दिलाने का प्रयास कर रही हैं। कंकरखेड़ा की निशा ने अपनी सहेलियों के साथ मिलकर वॉर अगेंस्ट सम्मान के लिए की गई हत्याओं नामक समूह शुरू किया है। सम्मान के लिए की गई हत्याओं के खिलाफ इस जंग में उनके साथ 70 लोग भी शामिल हैं। इनमें 30 से अधिक लड़कियां हैं। सोशल मीडिया के जरिए इस अभियान का आगे बढ़ाया जा रहा है।[2] सम्मान के लिए की गई हत्याओं पर बेबाक टिप्पणी करते हुए मनोवैज्ञानिक डॉ0 पूनम देवदत्त[3] कहती हैं, ''लड़का–लड़की जो भी है, माता–पिता को लगता है कि वो गलत राह पर जा रहा है तो उसकी काउंसिलिंग होनी चाहिए। उसे समझाना चाहिए। हत्या करना अपराध हैं सजा का विकल्प नहीं।'' महिलाओं के प्रति सम्मान रखते हुए माननीय उच्च न्यायालय, प्रयागराज ने भी कहा है कि लड़का, लड़की, स्त्री और पुरूष अपनी मर्जी से जहां और जिसके साथ रहना चाहें, रह सकती हैं। अभिभावकों, कोर्ट या पारिवारिक रिश्तेदारों को उनके जीवन की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने भी अपने एक फैसलों में कहा है कि बालिग लड़का और लड़की अपनी पसंद से जिसके साथ रहना चाहें, रह सकते हैं। इसमें किसी पंचातदारों या जाति के बड़े लोगों को हस्तक्षेप का कोई अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को भी संज्ञान लेकर यह कहने के लिए महबूर होना पड़ा है कि यह विडम्बना है कि 75 वर्षों के बाद भी जातिवाद समाप्त नहीं हो पाया है।[4]

परन्तु अधिकांश मामलों में यही सामने आया है कि वहशी दरिन्दे बने लोग झूठी शान के चक्कर में न तो पुलिस से डरते हैं न ही समाज से और न ही सरकार या अदालती फरमान से। उनके सिर पर तो जैसे उस समय कौन सा भूत सवार रहता है जो ऐसी घटनाओं को अंजाम दे ही देते हैं चाहे उम्रभर जेल में सलाखों के पीछे ही क्यों ना रहना पड़े। 2007 में नवविवाहित मनोज बनवाला और उसकी पत्नी बबली की हत्या बबली के दादा ने ही कर दी जो एक खाप पंचायत का मुखिया था और मनोज और बबली की विवाह से नाराज था। 07 जनवरी 2022 में कानपुर के चौबेपुर के क्षेत्र के एक गांव में एक

महिला ने अपनी नाबालिग गभर्वती बेटी की हत्या केवल इसलिए कर दी क्योंकि उसका गांव के एक व्यक्ति से सम्बन्ध था जिसके फलस्वरूप वह गर्भवती हो गयी थी।

माननीय न्यायालयों व सरकार के सख्त से सख्त कानूनों व आदेशों के बावजूद महिलाओं के उत्पीड़न की शिकायतें लगातार बढ़ रही हैं और इनमें 46 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। आश्चर्यजनक तो यह है कि इन कुल शिकायतों में आधी यू0पी0 की है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने 2021 के आठ महीनों पर यह रिपोर्ट दी है कि महिला उत्पीड़न के अगस्त 2021 तक 19953 मामले आये जबकि पिछले साल ये महज 13671 ही थे। अकेले जुलाई में 3248 शिकायतें दर्ज हुईं, जो 2015 के बाद सर्वाधिक हैं। आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा के अनुसार शिकायतें इसलिए भी बढ़ी हैं, क्योंकि आयोग ने नियमित जागरूकता अभियान आयोजित किये हैं तथा शिकायतें दर्ज कराने के लिए हेल्पलाइन भी जारी की है। आयोग की रिपोर्ट के अनुसार इन शिकायतों में यू0पी0 अन्य राज्यों के लिहाज से सबसे ऊपर रहा तथा दूसरे स्थान पर दिल्ली।[5]

सम्मान के लिए की गई हत्याओं को लेकर डॉ0 अभिषेक सिंघवी ने कहते हैं, ''जब मैने पहली बार सम्मान के लिए की गई हत्याओं शब्द सुना तो मुझे अत्यन्त विस्मय हुआ। पहली बार मैने यह शब्द पाकिस्तान में हत्या या मृत्यु दण्ड के संदर्भ में सुना था। उस वक्त मैने सोचा कि कानून के तहत हत्या करना या हत्या जैसा शब्द हमेशा गैर कानूनी या अवैध ढंग से किसी की जान लेने को कहा जाता है। यानि परिभाषा में ही हत्या या उसके अलग–अलग पहलू गैर कानूनी हैं और हत्या को किसी भी नाम या परिभाषा से पुकारा जाये वह गैर कानूनी ही होगा। किसी भी बालिग और अपने जीवन का फैसला खुद कर लेने वाले की हत्या करके उसे सम्मान के लिए की गई हत्याओं का नाम देना और परोक्ष रूप से वैध करार देना असम्भव है।

वैसे भी जब किसी की हत्या की जा रही है तो उसे सम्मान के लिए की गई हत्याओं का नाम किस तरह दिया जा सकता है। यह कैसी हत्या है जो किसी परिवार या समाज की प्रतिष्ठा के नाम पर की जा रही है। किसी की हत्या के कई कारण हो सकते हैं पर किसी भी व्यक्ति के निज जीवन के फैसले को बर्दाश्त नहीं करके उसकी हत्या करना गैरकानूनी है।

भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 से 504 के तहत हत्या के सजा का प्रावधान है। यह प्रावधान नही देखता कि हत्या किस मकसद या उद्देश्य से की गयी है। उसके लिए सजा बराबर है। लेकिन यह भी एक सच्चाई है कि सम्मान के लिए की गई हत्याओं को रोकने हेतु अदालती कानूनों से ही बात नहीं बनेगी। नये प्रस्तावित कानूनों में सम्मान के लिए की गई हत्याओं को रोकने के लिए विशेष प्रावधान किये गये हैं जिसकी कमी मौजूदा कानूनों में देखने को मिलती है।

समाज से यह गलतफहमी दूर करना बहुत जरूरी है कि हत्या चाहे वह जिस वजह से हो वह कानून की नज़र में अपराध है। इसलिए जो लोग यह समझते हैं कि वे अच्छे कारणों से हत्या कर सकते हैं या ऐसा करना दोषपूर्ण नहीं होगा, वे मिथ्या के सहारे जी रहे हैं। निश्चित रूप से सम्मान के लिए की गई हत्याओं हत्या की वह सीढ़ी है जो बहुत हद तक सामाजिक और ऐतिहासिक कारणों से रूढ़िग्रस्त हो गयी है। कानून की नज़र में उसका दण्ड किसी प्रकार से कम नहीं है।

सम्मान के लिए की गई हत्याओं को हत्याओं की सूची में सबसे ज्यादा गम्भीर और जघन्य अपराध मानना चाहिए। सम्मान के लिए की गई हत्याओं एक प्रकार से अकारण ही की जाती है। यह सिर्फ दो बालिग व्यक्तियों के निजी, वैध और कनूनी फैसले को नहीं मान सकने या स्वीकार नहीं कर पाने का परिणाम होता है जिसमें अहंकार भी छुपा होता है। इन बालिग व्यक्तियों की न तो किसी से कोई दुश्मनी होती है और न ही उनके साथ रहने के फैसले से किसी को नुकसान पहुंच रहा होता है और न ही इसके पीछे कोई सम्पत्ति विवाद होता है। फिर भी उनकी हत्या इसलिए कर दी जाती है कि उनके फैसले से उनके परिवार वाले व समाज असहमत होते हैं। किसी के फैसले से असहमत हाने पर उनकी हत्या किसी भी तर्क से न्याय संगत नहीं है।

यह एक ऐसा गम्भीर मुद्दा है जिस पर हर सभ्य समाज को सोचने पर मजबूर होना चाहिए। हिन्दू विवाह अधिनियम में सगोत्र विवाह यानि पिता की तरफ से सात और मां की तरफ से पांच पीढ़ी में विवाह को अवैध माना जाता है। पर इसका मतलब यह नही है कि जिसने ऐसा कदम उठा लिया हो तो उसे समाज का सबसे बड़ा अपराधी

मानकर मौत की सज़ा दे दी जाये। कुछ लोग जानबूझकर इस तरह का मिथ्या प्रचार कर रहे हैं कि जो सम्मान के लिए की गई हत्याओं के विरोध में खड़े है, वह प्रोहिबिटेड डिग्री में विवाह का समर्थन करते हैं।

सम्मान के लिए की गई हत्याओं के नाम पर लड़कियों व लड़कों के मन में भय पैदा करके सगोत्र विवाह करने के उनके फैसले और हौंसले को तोड़ा जा रहा है। 80 प्रतिशत हत्यायें सगोत्र विवाह के नाम पर अन्तर्जातीय विवाह करने वालों की हुई हैं। किसी भी अन्तर्जातीय विवाह को सगोत्र विवाह का नाम देकर विवाहित युगल की हत्या कर दी जाती है। 25 जून 2021 को द्वारका के एक गांव में 23 वर्षीय मुकेश और उसकी पत्नी किरन दाहिया को गोली मारकर हत्या कर दी गयी। उनका कसूर सिर्फ इतना था कि उन्होंने सगोत्री होने के बावजूद विवाह किया था। मुकेश के पिता का कहना था जब दोनों ही एक ही गांव में रहते थे और एक ही गोत्र के थे। फिर दोनों कैसे शादी कर सकते थे। हमे समाज में रहना और उनका विवाह हमारे लिए एक कलंक था।[6]

आज का भारत 1950 की तुलना में इतना शिक्षित और आर्थिक रूप से इतना समर्थ हो गया है कि कई कुरीतियां धीरे–धीरे समाज से समाप्त हो रही हैं। और यह विश्वास किया जा सकता है कि 2030–50 में इस प्रकार की सम्मान के लिए की गई हत्याओं की यह कुरीति समाप्त हो जायेगी। लेकिन यह भी ध्यान रखना होगा कि इस समस्या का समाधान तभी हो सकता है जब पूरा देश सम्मान के लिए की गई हत्याओं के मुद्दे को मानवता भरी नजरों से देखे और देश में कहीं भी इस प्रकार की घटनायें हों तो पूरा देश उनके विरोध में एक स्वर से खड़ा हो।

यदि हमें कुरीति मुक्त भारत का सपना साकार करना हो तो सम्मान के लिए की गई हत्याओं जैसी कुरीति को रोकना ही होगा। प्रेम विवाह आज भी स्वीकार्य नहीं है। झूठी इज्जत का दिखावा करना अब समाज में बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। हमारी यह सोच एक दिन, महीने,साल,सदी की नहीं कई पीढ़ियों से बनी है। तो इसमें बदलाव के लिए अपने घरों से ही शुरूआत करनी होगी अन्यथा भ्रूण हत्या, दहेज हत्या, प्रेम विचाह, इज्जत के नाम पर बालिकाओं/स्त्रियों का शोषण होता रहेगा।

अन्त में यह कहा जा सकता है कि स्वस्थ, सुरक्षित समाज प्रत्येक नागरिक का अधिकार है। माता–पिता को अपने बच्चों पर अनावश्यक दबाव, सख्त लहजा अख्तियार नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ हमारे समाज को नई नस्लों के हिसाब से मूल्य गढ़ने होंगे। नयी सोच से ओत–प्रोत यह समाज जब ऐसी घटनाओं के विरोध में दीवार बन कर खड़ा होगा तभी इस कुरीति की समाप्ति हो सकती है।

सन्दर्भ –

1. दैनिक अमर उजाला, मेरठ संस्करण (सम्पादकीय) 20 मई 2020 पृष्ठ 9
2. दैनिक अमर उजाला, मेरठ संस्करण, 21 फरवरी 2021, पृष्ठ 7
3. डॉ0 पूनम देवदत्त (मनोविज्ञानी) की टिप्पणी, पूर्वोक्त पृष्ठ 7।
4. द हिन्दू, ई–पेपर, नई दिल्ली, 28 नवम्बर 2021
5. दैनिक अमर उजाला, मेरठ संस्करण, 8 सितम्बर 2021 पृष्ठ 1
6. द हिन्दू, ई–पेपर, नई दिल्ली, 26 जून